3/9/24 — कारवा 1/11/24 को पेश हो।

11/11/24 — 11/12/24 को पेश हो।

11/12/2024 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते अप्रार्थी की तलबी कराने बाबत दिनांक 07/01/25 को पेश हो

07/01/2025 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी को अप्रार्थी की तलबी करवाने बाबत ... किया। जावक जारी दिनांक 20/01/25 को पेश हो

20/01/2025 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी की तलबी हेतु भेजे गए नोटिस की रसीद पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी दिनांक 13/02/25 को पेश हो

13/02/2025 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी दिनांक 21/03/25 को पेश हो

21/03/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30/04/25 को पेश हो

30/04/2025 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21/05/25 को पेश हो

21/05/2025 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी बहस हेतु समय चाहते हैं समय दिया जाकर मिसल दिनांक 04/06/25 को पेश हो

04/06/2025 पत्रावली आज पेश हुई। वकील ~~प्रार्थी एवं अप्रार्थी~~ उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया

न्यायालय सहायक ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कि ख.न. 196/4 का प्रार्थी रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी काबिज-काश्त है। ख.न. मूल 196 की पड़ौसी खातेदारों ने गलत तरमीम करवा रखी है। अप्रार्थी ने ख.न. 196 की न्यायालय द्वारा निरस्त तरमीम के बावजूद प्रार्थी को बेदखल कर कम्पनी को कब्जा देने पर आमादा है। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोक किया। प्रार्थी वकील बहस एवं पत्रावली में उप दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सं एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य हो कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दि 20.06.2024 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

सहायक

बाप

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

कि ख.न. 196/4 का प्रार्थी रेकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी काबिज-काश्त है। ख.न. मूल 196 की पड़ौसी खातेदारों ने गलत तरमीम करवा रखी है। अप्रार्थी ने ख.न. 196 की न्यायालय द्वारा निरस्त तरमीम के बावजूद प्रार्थी को बेदखल कर कम्पनी को कब्जा देने पर आमादा है। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होते है। अत: प्रार्थी के पक्ष मे पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होते है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व मे दिनांक 20.06.2024 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)